बिहार सरकार
गृह (विशेष) विभाग
*****
अधिसूचना

पटना, दिनांक– जनवरी, 2016

एस0ओ0 ..../सी0, चूँकि गृह (विशेष) विभाग की अधिसूचना संख्या–बी0/सा0वि0व्य0(वैशाली)–01/2015/252/वि0स0को0, पटना, दिनांक–18.11.2015 द्वारा वैशाली जिला के लालगंज थानान्तर्गत ग्राम–अगरपुर में दिनांक–17.11.2015 को हुई पिकअप वैन चालक द्वारा एक घर में वाहन से हुई दुर्घटना के पश्चात् घटित विधि–व्यवस्था की समस्या एवं पुनः दिनांक–18.11.2015 को इसी दुर्घटना को लेकर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा चालक एवं कतिपय अन्य लोगों के घरों में की गई आगजनी की घटना, तत्पश्चात् उत्पन्न हुई गंभीर विधि–व्यवस्था की समस्या जिसमें बेलसर ओ0पी0 प्रभारी एवं अन्य पुलिस कर्मी घायल हुए तथा अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस फायरिंग की गई, की जांच के लिए बिहार के राज्यपाल ने कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट–1952 (सं0–60/1952) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जांच आयोग गठित किया है। आयोग की अवधि अधिसूचना निर्गत की तिथि (दिनांक–18.11.2015) से एक महीने के लिए 17.12.2015 तक निर्धारित की गई थी। इस जांच आयोग के अध्यक्ष, श्री प्रेम सिंह मीणा, भा0प्र0से0, महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना तथा सदस्य श्री सुनील कुमार, भा0पु0से0, पुलिस महानिरीक्षक (बजट एवं अपील), बिहार, पटना है।

2– और चूँकि बिहार राज्यपाल को समाधान हो गया है कि उपर्युक्त जांच संबंधी कार्य पूरा करने के लिए दिनांक–18.12.2015 से 17.01.2016 तक के लिए अवधि विस्तार की आवश्यकता है।

3– अतएव, अब, उक्त अधिनियम की धारा–3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल उपरोक्त जाँच आयोग की अवधि को दिनांक–18.12.2015 से 17.01.2016 तक विस्तारित करते हैं।

(बी0/सा0वि0व्य0(वैशाली)–01/2015)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
06.01.16
(जितेन्द्र कुमार)
सरकार के विशेष सचिव

एस0ओ0......................../

पटना, दिनांक– जनवरी, 2016

का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

Government of Bihar
Home (Special) Department
NOTIFICATION

Patna, dated Jan, 2016

S.O. No............................./C., Whereas vide Home (Special) Department Notification No.-B/Gen.Law&Ord.(Vaishali)-01/2015 Dated 18.11.2015 the Governor of Bihar was pleased to constitute an Enquiry Commission under the Commission of Enquiry Act (No. 60, 1952) for inquiring into the incidents that took place as a consequence of the accident in a house involving a pick up van on 17.11.2015 in the village Agarpur under Police Station Lalganj of Vaishali District, and subsequently on 18.11.2015 after arson by local villagers involving the house of the pick up van driver and other leading to serious law & order problem and stone pelting, in which serious injuries were caused to the O.P. In-charge of Belsar and other police men, resulting in police firing. The term of the commission was fixed for one month from the date of notification i.e. 18.11.2015 to 17.12.2015. Sri Prem Singh Meena, IAS, Inspector General , Jail and Correctional Services, Bihar is The Chairman of this Enquiry Commission and Sri Sunil Kumar, IPS, Inspector General (Budget and Appeal), Bihar is member.

2- Further, whereas, the Governor of Bihar is pleased to decide that in order to complete the enquiry, the Commission requires to be given further extension of tenure from 18.12.2015 to 17.01.2016.

3- Now, therefore, in exercise of powers conferred by section-3 of Act no. 60 of 1952, the Governor of Bihar is pleased to extend the period of the Commission of enquiry from 18.12.2015 to 17.01.2016.

(B/Gen.Law&Ord.(Vaishali)-01/2015)
By order of the Governor of Bihar

Jitendra 06.01.'16

(Jitendra Kumar)
Special Secretary to the Government

ज्ञापांक– बी0/सा0वि0व्य0(वैशाली)–01/2015 पटना, दिनांक– जनवरी, 2016

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो टंकित प्रतियों एवं सी0डी0 सहित ई–गजट में प्रकाशानार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 100 (एक सौ) अतिरिक्त प्रतियाँ गृह (विशेष) विभाग को शीघ्र भेजने की कृपा की जाए।

Jitendra 06.01.'16

(जितेन्द्र कुमार)
सरकार के विशेष सचिव

कृ0पृ0उ0

433 Amar Draft Sec-B

ज्ञापांक– बी0 / सा0वि0व्य0(वैशाली)–01 / 2015– पटना, दिनांक– जनवरी, 2016

प्रतिलिपि:– श्री प्रेम सिंह मीणा, भा0प्र0से0, महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना एवं श्री सुनील कुमार, भा0पु0से0, पुलिस महानिरीक्षक (बजट एवं अपील), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(जितेन्द्र कुमार)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक– बी0 / सा0वि0व्य0(वैशाली)–01 / 2015– पटना, दिनांक– जनवरी, 2016

प्रतिलिपि:– मुख्य सचिव / राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / प्रधान सचिव, गृह विभाग / पुलिस महानिदेशक, बिहार / प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर / प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर / पुलिस उप महानिरीक्षक, तिरहुत क्षेत्र, मुजफ्फरपुर / जिला पदाधिकारी, वैशाली / पुलिस अधीक्षक, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(जितेन्द्र कुमार)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक– बी0 / सा0वि0व्य0(वैशाली)–01 / 2015– 67 पटना, दिनांक– 06 जनवरी, 2016

प्रतिलिपि:– आई0 टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसे तत्काल विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

Jitendra 06.01.16

(जितेन्द्र कुमार)
सरकार के विशेष सचिव